

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/ नियुक्ति- भूगोल/ पीएससी-15/2017 दिनांक 28.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक-24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी (चैनाराम) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 10203/2022 चैनाराम व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 10203/2022 चैनाराम व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2022 में याचिका को एस.बी.सी.या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 तथा एस.बी.सी.या.स. 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "If the respondent no-2 decideds to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but the would be entitled only to notional benefits".

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी चैनाराम व अन्य द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	जन्म दिनांक	मेरिट नं०		व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
			OLD	NEW		
1	CHAINA RAM	01.07.1992	810	809	30-06-2017	03-07-2017 (मध्यान् पूर्व)
2	MUKESH CHAND BAIKWA	23.04.1983	996	-	30-06-2017	01-07-2017 (मध्यान् पूर्व)
3	RAJKAMAL MEENA	16.10.1994	938	925	30-06-2017	04-07-2017 (मध्यान् पूर्व)
4	SHISHPAL JAT	21.07.1990	533	617	30-06-2017	03-07-2017 (मध्यान् पूर्व)
5	BHANWAR LAL	17.07..1983	272	293	29-06-2017	24-08-2017 (मध्यान् पश्चात्)
6	RAVI KUMAR SIRAWATA	04.04.1991	953	949	30-06-2017	05-07-2017 (मध्यान् पूर्व)
7	KAILASH CHANDRA MEENA	30.06.1985	949	919	28-06-2017	03-07-2017 (मध्यान् पूर्व)
8	MOHAN LAL MEENA	03.02.1991	920	918	30-06-2017	29-07-2017 (मध्यान् पूर्व)
9	RAMESH KUMAR BUNKAR	10.11.1986	878	864	30-06-2017	06-07-2017 (मध्यान् पूर्व)

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक भूगोल विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 28.06.2017 में कार्मिक सुमन मेरिट क्रमांक 1190 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुमन द्वारा राउमावि. मेहारा जाटुवास खेतडी (216016) झुंझुनूं में दिनांक 30.06.2017 मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 10203/2022 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 21.07.2022 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुमन (मेरिट क्रमांक 1190) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 28.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुमन द्वारा दिनांक 30.06.2017 मध्याह्न पूर्व को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

सुमन द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुमन द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी ही वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परन्तु वे सभी नौशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।



(गौरव अग्रवाल)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 18.04.2023

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-5/चैनाराम भूगोल/नौशनल/या.स.-10203/2022

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
06. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर